प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे0एस0एस0के0/93टी0सी0–3/2015–16/6368 दिनांक 28.08.2015

विषय– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की प्रसव इकाईयों पर निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन्स की व्यवस्थाओं किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव हेतु चिकित्सालय में भर्ती के दौरान निःशुल्क औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में जारी की गयी जे0एस0एस0के0 एसेन्शियल ड्रग लिस्ट (ई0डी0एल0 सूची संलग्न) में प्रसूताओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान भी किया गया है।

संज्ञान में आया है कि चिकित्सालयों में प्रसूताओं को सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं एवं वे कपड़ा प्रयोग में लाने के बाध्य हैं। वर्तमान में किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आर0सी0 पर सैनेटरी नैपकिन्स की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार एक पैकेट में 10 नैपकिन हैं एवं प्रत्येक नैपकिन की सोखने की क्षमता 50 मिली0 से अधिक है। सैनेटरी नैपकिन का प्रयोग स्वच्छता एवं संक्रमण से बचाव की दृष्टि से आवश्यक है। चिकित्सालय में प्रायः प्रयोग होने वाले कॉटन गॉज के नैपकिन से इसकी सोखने की क्षमता भी अधिक होती है।

इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है कि प्रसव पश्चात प्रथम 2 दिवसों के लिये नैपकिन बार–बार बदलने की आवश्यकता के चलते पूरा एक पैकेट दिया जाना उचित होगा एवं शेष पोस्ट पार्टम अवधि के लिए 2 पैकेट और दिये जाने आवश्यक हैं। इस प्रकार यदि प्रत्येक प्रसूता को प्रसव के तत्काल पश्चात सैनेटरी नैपकिन के 3 पैकेट उपलब्ध करा दिया जाना उपयुक्त होगा।

सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जाने हेतु उच्च स्तर से भी सभी जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत करने की अपेक्षा की गयी है कि सक्रिय पंचायत उद्योगों/पी0पी0पी0 मॉडल से कुटीर उद्योग के स्तर पर लो कास्ट सैनेटरी नैपकिन का सम्पादन व विपणन को प्रोत्साहित किया जाये।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–410/पाँच–9–2014–9(178)/11 दिनांक 04.03.2014 के बिन्दु 3 पर सैनेटरी नैपकिन के क्रय हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गयी है–

'गुणवत्तायुक्त सैनेटरी नैपकिन्स के क्रय हेतु सी0एम0एस0डी0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा क्रय सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत दर अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। क्रय किये जाने वाले कुल सैनेटरी नैपकिन्स की मात्रा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक आपूर्ति आदेश सी0एम0एस0डी0 द्वारा किये गये दर अनुबन्ध की दर पर निर्धारित मानकों की पूर्ति की शर्त के अधीन, यू0पी0डी0पी0एल0 को और

अधिकतम 10 प्रतिशत की मात्रा तक के आपूर्ति आदेश पंचायत उद्योगों को दिये जा सकेंगे। यू0पी0डी0पी0एल0 अथवा पंचायत उद्योगों द्वारा आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में अवशेष आपूर्ति का आदेश भी दर अनुबन्धित फर्मों को दे दिया जायेगा।"

कृपया उपर्युक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मिशन निदेशक

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे0एस0एस0के0/93टी0सी0–3/2015–16/6368 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2 मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0।
3 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4 समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

मिशन निदेशक